न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या : 03/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सोमेश्वर दास पुत्र श्री तुलसीदास जाति साद (वैष्णव) निवासी- तीजामाजी का मन्दिर सदर बाजार, जोधपुर प्रबन्धक तीजामाजी मंदिर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावडी जिला जोधपुर 2. हरेन्द्रसिंह पुत्र मेहताबसिंह जाति-जाट निवासी बावडी, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर 3. श्रीमती पुष्पाकंवर पत्नी मेहताबसिंह के कायम मुकाम 3/1-सुरेन्द्रसिंह पुत्र मेहताबसिंह 3/2-कृष्णसिंह पुत्र मेहताबसिंह 3/3-दिलीपसिंह पुत्र मेहताबसिंह जाति जाट निवासी बावड़ी तहसील बावडी जिला जोधपुर

रेफरेन्स आवेदन अन्तर्गत धारा 82 राज0 भू राजस्व अधिनियम बाबत मन्दिर तीजामाजी जो सदर बाजार जोधपुर में स्थित है की खातेदारी भूमि को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने।

उपस्थिति:-
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अनोपसिंह उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3/1 से 3/3 की ओर से अधिवक्ता श्री के. सी.पीतावत उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 27.06.2019

प्रार्थी सोमेश्वरदास पुत्र श्री तुलसीदास जाति साद (वैष्णव) निवासी तीजामाजी का मन्दिर सदर बाजार जोधपुर प्रबन्धक तीजामाजी मन्दिर की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर व हरेन्द्रसिंह पुत्र श्री मेहताबसिंह जाति जाट निवासी बावड़ी जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध सदर बाजार जोधपुर में स्थित मन्दिर तीजामाजी की खातेदारी भूमि को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खतोनी मौज बावड़ी परगना जोधपुर–जोधपुर गवर्नमेन्ट संख्या 1999 में डोली बनाम तीजामाजी का मन्दिर दर्ज है जिसके खसरा नम्बर 1106, 1226, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 893, 895, 896, 897, 899, 900, 901, 902, 903, व 904 कुल रकबा 200.18 बीघा है व जमाबन्दी सम्वत 2016–2019 में भी मन्दिर तीजामाता के नाम दर्ज है। उक्त तीजामाजी का मन्दिर सदर बाजार बाहर, जोधपुर में आया हुआ है जिसकी सेवापूजा वंशानुसार चलती आ रही है व कभी किसी प्रकार का उजर एतराज व राजस्व रेकर्ड संबंधी कभी भी विवाद नहीं हुआ। प्रार्थी से पूर्व प्रार्थी के पिता श्री तुलसीदास तीजामाजी मन्दिर के महन्त थे जब देवस्थान विभाग में जांच प्रकरण चला उसके पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की जिसमें मामले को पुनः देवस्थान विभाग को प्रतिप्रेषित किया गया। देवस्थान विभाग ने पुनः सुनवाई कर दिनांक 03.04.2012 को आदेश किया कि यह सम्पत्ति इस न्यास की सम्पत्ति है व महंत तुलसीदास को कार्यशील न्यासी बताया व उभय पक्षो के बयान एवं दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि ताम्रपत के जरिये महंत मोतीराम से पीढी दर पीढी चेला/बेटा/पिता इसके न्यासी के तौर पर कार्य कर रहे है। महंत तुलसीदास के देहान्त के पश्चात् वर्तमान में महंत सोमेश्वर दास (प्रार्थी) प्रबंधक न्यासी/कार्यशील न्यासी है और यह भी आदेश दिया कि निर्णय अनुसार प्रपत्र संख्या 1 में प्रविष्टियां दर्ज की जाकर प्रविष्टियों की एक एक प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं ट्रस्ट सम्पदा पर चस्पा की जावे एवं पंजीयन शुल्क 5/– रुपये जमाकर पंजीयन प्रमाणपत्र कार्यशील न्यासी/महंत के पदनाम से जारी किया जावे। तत्पश्चात् दिनांक 03.04.2012 को ही रघुनाथ जी तीजामाजी मन्दिर घासमण्डी जोधपुर के नाम पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर दिया।

मन्दिर के अलावा मन्दिर की रिक्त भूमि जिसका कोई विवाद नहीं है के संबंध में प्रार्थी को जानकारी हुयी कि मन्दिर की भूमि का बेचान कई व्यक्तियों को किया जा चुका है तब प्रार्थी द्वारा भू अभिलेख शाखा से नकले प्राप्त होने पर जानकारी हुयी कि सम्वत 2020–2023 की जमाबंदी में अलग–अलग खसरान की भूमि अलग अलग नाम से दर्ज कर दी गयी। तदुपरांत भूमि का टुकड़ो में विभिन्न व्यक्तियों को बेचान किया जाता रहा जो हर प्रकार से विधि विरुद्ध है। डोली मन्दिर की भूमि कानूनन हस्तान्तरण योग्य नहीं है तथा वर्जित है इसके बावजूद भी गैर कानूनी कृत्य किया गया है। इस प्रकार मंदिर की भूमि के सम्पूर्ण बेचान अवैध, प्रभावहीन व शून्य है तथा सम्पूर्ण भूमि पर मन्दिर का ही आधिपत्य होने से मन्दिर की भूमि में अन्य किसी को खातेदारी हकूक कानूनन प्राप्त नहीं हो सकते है। जमाबंदी सम्वत 2020–2023 में मन्दिर की भूमि अन्य व्यक्तियों के नाम खातेदारी

किस आधार पर दर्ज की जिसके संबंध में प्रार्थी को अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुयी क्योकि ऐसा कोई आदेश ही नही हुआ है इसी कारण प्रार्थी को ऐसी कोई नकल प्राप्त नहीं हुयी। भूमि धारक अप्रार्थी संख्या 1 है जिसके पास मन्दिरो की भूमि का रिकोर्ड है इसके अतिरिक्त हल्का पटवारी के पास रिकार्ड तथा जानकारी भी रहती है। इन सभी का विधिसम्मत दायित्व है कि इस प्रकार के इन्द्राज करने से पूर्व संबंधित रिकार्ड की जांच करे और तत्पश्चात् ही रिपोर्ट करे लेकिन इन्होने अपने दायित्वो की पालना नही की बल्कि दायित्वों का उल्लघंन किया जिसके लिए वे कानूनन दोषी है। सम्वत 2020–2023 का ही इन्द्राज नहीं बल्कि आज तक आगे से आगे गलत इन्द्राज किया जाना जारी है जो राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत का ज्वलन्त उदाहरण है। इस प्रकार डोली मन्दिर की भूमि का गैर व्यक्तियों द्वारा हस्तान्तरण किया जाता रहा तो मन्दिर खुर्द बुर्द हो जायेंगे तथा मन्दिर नाम ही नही रहेगा। मन्दिर की भूमि अन्य किसी के द्वारा हस्तान्तरण योग्य नहीं है इसके बावजूद भी बिना किसी आधार व बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवा ली परन्तु ऐसी स्थिति में खातेदारी हकूक प्राप्त नही हो सकते है। इस संबंध में राजकीय परिपत्र एवं अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्णय पारित किया जा चुका है। भूमि धारक का यह भी कानूनन उत्तरदायित्व है कि डोली मन्दिरों की भूमि को सुरक्षा प्रदान करे परन्तु इस मन्दिर के संबंध में तो कानून को नजर अंदाज करते हुए सरासर गलत प्रविष्टियां कर दी गयी जो कि सभी की मिलीभगत की वजह से हुआ है जिसका कोई औचित्य नहीं होने से अवैध, प्रभावहीन व शून्य है। इस प्रकार के इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड से हटाया जाना आवश्यक है अन्यथा भविष्य में भी गलत इन्द्राज किये जाते रहेगें जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत है। सम्वत 2019 के बाद सम्वत 2020 में ही अलग अलग खसरो में विभिन्न व्यक्तियों की खातेदारी दर्ज हो जाना आश्चर्यजनक है क्योकि किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश ही पारित नही किया गया था। बिना किसी आदेश इस प्रकार से गलत इन्दाज किया जाना गैर कानूनी कृत्य की परिधि में आता है जिसके लिए भूमिधारक व हल्का पटवारी पूर्णरुप से दोषी है। जिन जिन के नाम गलत खातेदारी दर्ज की गयी है उनको प्राप्त कुछ भी नही हुआ परन्तु अनावश्यक रुप से प्रार्थी के लिए एक नया विवाद खडा कर दिया जिसका समाधान कानूनी परिप्रेक्ष्य में किया जाना अति आवश्यक हो गया अन्यथा अनावश्यक विवाद बढता ही चला जायेगा जो किसी भी आधार पर न्याय संगत नही होगा। राजस्व रिकोर्ड में सम्वत् 2020 से जिन व्यक्तियों की अलग अलग खातेदारी दर्ज की गयी वो अवैध प्रभावहीन व शून्य घोषित कर और इनके द्वारा आगे से आगे किये गये बेचान के आधार पर किये इन्द्राजात को भी

अवैध, प्रभावहीन व शून्य घोषित किया जावे तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अनोपसिंह ने अपनी बहस में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि डोली बनाम तीजामाजी मन्दिर के नाम दर्ज उक्त खसरान की कुल रकबा 200.18 बीघा भूमि का तत्कालीन खातेदार द्वारा बेचान या हस्तान्तरण नहीं किया गया है। राजस्व रिकोर्ड में सम्वत् 2020 से जिन व्यक्तियों की अलग अलग खातेदारी दर्ज की गयी वो अवैध प्रभावहीन व शून्य घोषित करते हुए इनके द्वारा आगे से आगे किये गये बेचान के आधार पर किये इन्द्राजात को भी अवैध, प्रभावहीन व शून्य घोषित किया जावे। अत: प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3/1 से 3/3 की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी. पीतावत ने अपनी बहस में बताया कि परिपत्र 24.05.2007 में ऐसे खातेदार को निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज होना उचित है। उक्त प्रकरण में मन्दिर के साथ सेवायत निरन्तर लिखा गया। बेचान 100/- रूपये से कम का होने से रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं होने से नामान्तरकरण सीधे ही भरे गये। यहां वर्तमान में 100 लोगों की बस्ती है व 70 वर्षों से वे लोग निवास कर रहे है। प्रकरण में रेफरेन्स के लिए पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किए गए है। भूमि हस्तान्तरण के संबंध में कोई रिकार्ड या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में दर्ज खातेदारी भूमि को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी व बहस सुनने व प्रकरण का अवलोकन करने से स्पष्ट हुआ कि खतोनी मौज बावड़ी परगना जोधपुर-जोधपुर गवर्नमेन्ट संख्या 1999 में डोली बनाम तीजामाजी का मन्दिर दर्ज है जिसके खसरा नम्बर 1106, 1226, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 893, 895, 896, 897, 899, 900, 901, 902, 903, व 904 कुल रकबा 200.18 बीघा भूमि जमाबन्दी सम्वत 2016-2019 में मन्दिर तीजामाता के नाम दर्ज है जिसका तत्कालीन खातेदार ने बेचान या हस्तान्तरण नहीं किया है। सेटलमेन्ट की प्रक्रिया के दौरान डोली भूमि बाद में भी डोली रहेगी इसलिए माननीय राजस्व मण्डल का परिपत्र इस विषय में लागू नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी इस विषय में दृष्टव्य है। उक्त भूमि हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज भी नहीं है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

स्वीकार करते हुए राजस्व रिकोर्ड में सम्वत् 2020 से जिन व्यक्तियों की अलग अलग खातेदारी दर्ज की गयी वो अवैध प्रभावहीन व शून्य घोषित करने और इनके द्वारा आगे से आगे किये गये बेचान के आधार पर किये इन्द्राजात को भी अवैध, प्रभावहीन व शून्य घोषित किया जाने हेतु प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जाता है। पक्षकारान माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दिनांक 29.07.2019 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर